भायंदर सन

BHAYANDER SUN

PRGI No. : MHHIN/26/A2219 website : bhayandersun.co.in Email : bhayandersun@gmail.com

वर्ष : 1 * अंक : 11 * दि. 1 से 15 नवंबर 2026 * संपादक : संजय डी. राय * ठाणे * पृष्ठ : 4 * मूल्य : 5 रुपये

नागरिक बेहाल; मीरा भाईंदर में पानी संकट गहराया

प्राधिकरणों ने साप्ताहिक कटौती रद्द करने से किया इंकार

मीरा-भाईंदर शहर में पानी की किल्लत के बीच नागरिकों को राहत मिलने की उम्मीद फिलहाल पूरी होती नजर नहीं आ रही है। मंजूर कोटे से कम पानी मिलने के बावजूद STEM प्राधिकरण और महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल (MIDC) ने साप्ताहिक जल कटौती रद्द करने में असमर्थता जताई है। ऐसे में सूर्य जलापूर्ति योजना शुरू होने तक शहरवासियों को पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है।



मीरा-भाईंदर को STEM से प्रतिदिन 86 मिलियन लीटर (MLD) और MIDC से 125 MLD पानी मंजूर है। इस तरह शहर का कुल स्वीकृत जल कोटा 211 MLD है। हालांकि, वास्तविक आपूर्ति में STEM से करीब 80 MLD और MIDC से लगभग 115 MLD पानी मिल रहा है। यानी शहर को प्रतिदिन कुल करीब 195 MLD पानी ही उपलब्ध हो पा रहा है।

प्रतिदिन 16 MLD पानी की कमी

मंजूर कोटे और वास्तविक आपूर्ति के बीच लगभग 16 MLD का अंतर है। इस कमी को देखते हुए मीरा-भाईंदर महानगरपालिका ने दोनों प्राधिकरणों से साप्ताहिक कटौती में राहत देने की मांग की थी। हालांकि, अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि उल्हास नदी से पानी लेने की व्यवस्था सिंचाई विभाग के नियंत्रण में होने के कारण कटौती को टालना संभव नहीं है।

मौजूदा व्यवस्था के तहत STEM की जलापूर्ति सप्ताह में एक बार 18 घंटे और MIDC की आपूर्ति 36 घंटे बंद रखी जाती है। संबंधित अधिकारियों के अनुसार, पंप बंद रहने के दौरान शहर को पानी उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पाता।

निजी टैंकरों पर बढ़ी निर्भरता

नियमित जलापूर्ति में कमी के कारण नागरिकों को निजी पानी के टैंकरों का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे घरेलू खर्च बढ़ने के साथ पानी की उपलब्धता को लेकर भी चिंता बनी हुई है। नागरिकों के सामने टैंकरों से मिलने वाले पानी की कीमत और उसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।

स्थानीय स्तर पर पानी के स्रोत और उसकी शुद्धता की गारंटी को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। ऐसे में पानी की गुणवत्ता की जांच और सुरक्षित जलापूर्ति सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

सूर्य जलापूर्ति योजना से राहत की उम्मीद

मीरा भाईंदर शहर में पानी की समस्या के स्थायी समाधान के लिए सूर्य जलापूर्ति योजना को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में योजना शुरू होने की निश्चित तारीख स्पष्ट नहीं है। फिलहाल STEM और MIDC की साप्ताहिक कटौती जारी रहने से नागरिकों को सीमित जलापूर्ति के बीच गुजारा करना पड़ रहा है।

नागरिकों को उम्मीद है कि जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार के साथ पानी की गुणवत्ता की नियमित निगरानी भी की जाएगी, ताकि उन्हें पर्याप्त और सुरक्षित पानी मिल सके।

ठाणे के मीरा-भाईंदर में पानी के दाम 50% बढ़े, 500 लीटर के लिए अब देने होंगे 600 रुपये

मीरा- भाईंदर में पानी की किल्लत के बीच निजी टैंकर चालकों ने पानी के दाम 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिए हैं। पहले 500 लीटर पानी के लिए 400 रुपये देने पड़ते थे, लेकिन अब इसके लिए 600 रुपये वसूले जा रहे हैं। इससे गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों की परेशानी बढ़ गई है।

शहर को एसटीईएम प्राधिकरण और एमआईडीसी से प्रतिदिन करीब 200 एमएलडी पानी की जलापूर्ति की जाती है। संभावित जल संकट को देखते हुए 10 प्रतिशत पानी कटौती लागू की है। इसके तहत सप्ताह के निर्धारित दिनों में एसटीईएम और एमआईडीसी की आपूर्ति बंद रखी जा रही है।

पानी की भारी कमी हो रही

कटौती लागू होने के पहले ही सप्ताह में कई इलाकों में जलापूर्ति प्रभावित हुई। शुक्रवार से पानी की भारी कमी महसूस की जा रही है। कुछ क्षेत्रों में आपूर्ति बहाल होने के बावजूद कम दबाव के कारण पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। पुराने इमारतों और घनी आबादी वाले इलाकों के लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए निजी टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है।

छत्रपति संभाजीनगर मनपा के टैंकर मुख्य रूप से बड़ी आवासीय सोसायटियों को पानी देते हैं, जबकि पुराने इमारतों और स्वतंत्र मकानों में रहने वालों को छोटे निजी टैंकर मंगवाने पड़ते हैं। पिछले चार दिनों में निजी टैंकरों की मांग बढ़ने के साथ ही कीमतों में भी उछाल आया है।

पानी की आपूर्ति मनपा के अलावा बोरवेल और झीलों से जलापूर्ति करने वाले टैंकर चालक भी सक्रिय हैं। नियमित जलापूर्ति में बाधा और बढ़ती कीमतों ने नागरिकों की मुश्किलें दोगुनी कर दी हैं।

सबूत मिलने पर होगी कार्रवाई

मनपा को निजी टैंकरों द्वारा अधिक कीमत वसूलने की शिकायतें मिली हैं। जलापूर्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, संबंधित टैंकर चालकों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। नागरिकों से अपील की गई है कि वे अधिक वसूली के सबूतों के साथ शिकायत दर्ज कराएं, ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

राज्य में सूखाग्रस्त स्थिति के बीच पानी की घोर बर्बादी!

मीरा-भायंदर में 'रेन वॉटर हार्वेस्टिंग' योजना फाइलों में सिमटी

भाईंदर : एक तरफ जहां पूरा राज्य सूखा और भीषण जल संकट से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ मीरा-भायंदर मनपा क्षेत्र में प्रशासनिक लापरवाही के कारण हर साल करोड़ों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा रेन वॉटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य किए जाने के बावजूद मनपा की उदासीनता के चलते स्थानीय स्तर पर यह योजना सिर्फ कागजी औपचारिकता बनकर रह गई है।

गौरतलब है कि शहर में तेजी से बढ़ते कंक्रीटीकरण और अवैध निर्माण के कारण भूजल स्तर लगातार गिर रहा है, लेकिन मनपा प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। बिल्डर्स और विकासक केवल नई इमारतों का अधिभोग प्रमाणपत्र (ऑक्युपैंसी सर्टिफिकेट-ओसी) हासिल करने के लिए दिखावे के तौर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग खड़ा कर देते हैं। लेकिन 'ओसी' मिलने के बाद वह सिस्टम चालू है भी या नहीं, इसकी जांच करने की फुर्सत मनपा के संबंधित विभागों को नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता धीरज परब द्वारा प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, वर्ष २००९ से २०२३ के बीच मनपा ने कुल ५५७ आरडब्ल्यूएच योजनाओं को मंजूरी दी थी। नियमों के मुताबिक, हर साल इन योजनाओं के कार्यान्वयन की भौतिक जांच और नूतनीकरण होना अनिवार्य है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि वर्ष २०२३-२४ में ५५७ में से केवल १३ का ही नूतनीकरण हुआ है। आरडब्ल्यूएच के ताजा आंकड़ों पर अनिश्चितता कायम है।

यह लापरवाही तब हो रही है, जब शहर में पहले से ही १० से २० प्रतिशत तक पानी की कटौती लागू है। एड. प्रवीण परमार का कहना है कि मनपा के आंकड़ों के मुताबिक शहर में औसतन २,९०० मिमी बारिश होती है। यदि इसे २,५०० मिमी भी मान लिया जाए तो सिर्फ इन स्वीकृत ५५७ आरडब्ल्यूएच योजनाओं से ही सालाना ८४ करोड़ लीटर पानी बचाया जा सकता था। इस मामले को लेकर परब और परमार ने मनपा प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। परमार ने अपनी मांग में स्पष्ट किया है कि मनपा तुरंत भूजल सर्वेक्षण और विकास एजेंसी (जीएसडीए) से शहर के भीतर भूजल स्तर और समुद्री खारे पानी के रिसाव (सेलाइन इन्ग्रेस) का तकनीकी मूल्यांकन प्राप्त करे। इसके साथ ही पानी के वितरण नेटवर्क का 'वॉटर ऑडिट' पूरा कर उसे सार्वजनिक किया जाए, ताकि चोरी और लीकेज के कारण बर्बाद होने वाले पानी का सच जनता के सामने आ सके। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि *० दिनों के भीतर इस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो वे न्यायालय और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाएंगे।

फैक्ट चेक : मुख्य आंकड़े व मांगें

-भीषण संकट- राज्य में सूखाग्रस्त स्थिति के बीच शहर में १० से २० फीसदी पानी की कटौती

-५५७- वर्ष २००९ से २०२४ बीच मनपा द्वारा मंजूर कुल

-१३ – वर्ष २०२३-२४ में कुल सक्रिय और रिन्यूअल कराए गए आरडब्ल्यूएच प्रोजेक्ट

-८४ करोड़ लीटर- सूखाग्रस्त शहर में सालाना बर्बाद हो रहा पानी

-४ से ५ दिन- पूरे मीरा-भायंदर शहर को मिलने वाले अतिरिक्त पानी की अवधि

प्रमुख मांगें- जीएसडीए द्वारा जमीन में बढ़ रहे समुद्री खारे पानी की जांच और वॉटर ऑडिट



संपादकीय

स्रोत हो सुरक्षित

पत्रकारिता के पेशे में मीडियाकर्मी का नैतिक दायित्व होता है कि वह किसी खोजपूर्ण खबर में सहायक स्रोत की सुरक्षा और विश्वास को कायम रख सके। अपने गोपनीय स्रोत की सुरक्षा का वायदा सुनिश्चित करना महज एक पेशेवर शिष्टाचार नहीं है, सही मायने में यह खोजी पत्रकारिता की बुनियाद भी है। यदि जनहित के लिए महत्वपूर्ण गोपनीय सूचना देने वाले का भरोसा खत्म होगा तो भ्रष्टाचार और जन-विरोधी कार्यों में लिप्त लोगों के गलत कार्यों का खुलासा करने वाले लोग आगे नहीं आएंगे। यानी व्हिसलब्लोअर किसी गंभीर कदाचार आदि के मुद्दे पर चुप्पी साध सकते हैं। यदि सूचना स्रोत की गोपनीयता भंग होती है, तो गलत कामों के वास्तविक तथ्य कभी भी सामने नहीं आ पाएंगे। बहुत संभव है कि किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र के हित में, जनता को जानने योग्य जरूरी जानकारी से वंचित होना पड़ सकता है। इस विषय के महत्व की गंभीरता के चलते ही देश के सर्वोच्च न्यायालय में देश के 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट' यानी डीपीडीपी को चुनौती दी गई। जिसने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को सार्वजनिक विमर्श में ला दिया है। यही वजह है कि डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन ने चेताया है कि इस कानून के प्रावधान किसी मीडियाकर्मी के गोपनीय स्रोतों को सार्वजनिक कर सकते हैं। जो स्वतंत्र समाचार संग्रहण और इस बाबत जांच-पड़ताल में बाधक साबित हो सकते हैं। इस समस्या का चिंताजनक पहलू यह भी कि सरकार के पास नागरिकों की निजी सूचना एकत्र करने वाली संस्थाओं से जानकारी हासिल करने के अधिकार हैं। जिससे उन लोगों की पहचान उजागर हो सकती है जो भरोसे के चलते ही पत्रकारों के पास आते हैं। निश्चय ही किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी बंदिशें लादने से मीडिया की स्वतंत्रता पर आंच आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट में इस संदर्भ में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद, कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस बाबत जवाब मांगा है। उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 17 नवंबर तय की है।

इसमें दो राय नहीं हो सकती है कि आज की तेजी से डिजिटल होती दुनिया में निजता की सुरक्षा बनाये रखना बहुत आवश्यक है। निस्संदेह, नागरिकों को उनकी निजी जानकारी का दुरुपयोग होने से बचाया जाना बेहद जरूरी है। साथ ही यह भी जरूरी है कि निजता की सुरक्षा के लिये बनाया गया कोई कानून प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सत्ताधीशों के लिये ऐसा जरिया नहीं बन जाना चाहिए, जो तथ्यों की तलाश व जांच-पड़ताल में बाधक बने। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि शासन-प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और कॉर्पोरेट में होने वाली गड़बड़ियों की पड़ताल अकसर ऐसे लोगों पर निर्भर करती है, जो बड़े निजी जोखिम को उठाकर भी वास्तविक तथ्य देश व समाज हित में बताने को राजी होते हैं। ऐसे में यदि पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना उनकी पहचान उजागर हो जाती है तो पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर इसका व्यापक प्रतिकूल असर पड़ सकता है। फिर जोखिम उठाकर सूचना देने वाले लोग, ऐसा करने से कतराने लगते हैं। इससे जुड़ा एक वास्तविक पहलू यह भी है कि अपने स्रोत की सुरक्षा का अधिकार पत्रकारों को बिना किसी जवाबदेही के काम करने की छूट नहीं देता है। लेकिन यदि कोई अपवाद सामने आता है तो उसे स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। उसका सार्वजनिक होना बेहद जरूरी है। वहीं उसकी स्वतंत्र न्यायिक निगरानी होनी चाहिए। ऐसे में न्यूजरूम के रिकॉर्ड तक बिना किसी रोक-टोक के पहुंच होने से, स्रोत की सुरक्षा और जनता के जानने के अधिकार को नुकसान पहुंच सकता है। देश की शीर्ष अदालत से उम्मीद की जाती है कि बहुत सावधानी से निजता और प्रेस की आजादी के बीच संतुलन बनाया जाए। यदि वास्तविक पत्रकारिता के कार्यों के लिये स्पष्ट छूट दी जाती है, और साथ ही गोपनीय स्रोत के उजागर होने से रोकने के लिये सुरक्षा उपाय भी हों, तो इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कानून जनहित से जुड़ी रिपोर्टिंग में बाधा न बनेगा।

एआई के दौर में साइबर सुरक्षा की चुनौती

पिछले दिनों साइबर हमलों में भारी वृद्धि ने कई देशों में ऑनलाइन सेवाओं को पंगु कर डाला। इन हमलों के व्यापक दायरे को देखते हुए, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने इसे 'ब्लैक अक्तूबर' का नाम दिया है, जबकि कुछ इसे वल्नरेबिलिटी की प्रलय कह रहे हैं।

साइबर हमलों में भारी वृद्धि ने कई देशों में ऑनलाइन सेवाओं को पिछले दिनों पंगु कर डाला। बैंक, बीमा कंपनियां, सरकारी सेवाएं, शिक्षा और यूटिलिटी सेवाएं कई मामलों में प्रभावित हुई हैं। जापान की एक ऑनलाइन वित्तीय सेवा कंपनी ने अपने विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफॉर्म पर हुए साइबर हमले के कारण ग्राहकों को हुए नुकसान की भरपाई करने का फैसला किया है।

अमेरिका में, कई सरकारी और निजी वेबसाइटों को अपने सिस्टम में बचाव के उपाय करने के लिए कुछ समय के लिए ऑफलाइन करना पड़ा। टेक्सास की एक यूटिलिटी कंपनी ने डेटा लीक होने की सूचना दी, जिससे दस लाख से अधिक निवासी प्रभावित हुए और उनकी निजी जानकारी उजागर हो गई। भारतीय स्टेट बैंक के लगभग 4,000 ग्राहकों का डेटा लीक हो गया, जबकि तेलंगाना सरकार की औद्योगिक मंजूरी से जुड़ी एक वेबसाइट को हैक कर लिया गया। इन हमलों के व्यापक दायरे को देखते हुए, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने इसे 'ब्लैक अक्तूबर' का नाम दिया है, जबकि कुछ इसे 'वल्नपोकैलिप्स' यानी वल्नरेबिलिटी की प्रलय कह रहे हैं।

साइबर हमला तब होता है, जब किसी वेबसाइट को चलाने वाले सॉफ्टवेयर में सेंध लगाने की गुंजाइश होती है। सुरक्षा विशेषज्ञों का काम ऐसी कमियों का पता लगाना और उन्हें ठीक करना होता है। हालांकि, यह पूरी प्रक्रिया उतनी आसान नहीं है, जितनी सुनने में लगती है। इसमें कई तरह के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम शामिल होते हैं – जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लिकेशन, फर्मवेयर, क्लाउड, डेटाबेस मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, एंटरप्राइज प्लानिंग, सप्लाई चेन आदि – और इनकी खरीद अलग-अलग आपूर्तिकर्ताओं या वेंडरों से हो सकती है। ये कमियां मसलन, मेमोरी सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं, इंजेक्शन फ्लॉ, ऑथेंटिकेशन में गड़बड़ी, क्रिप्टोग्राफिक विफलताएं और डिपेंडेंसी कन्फ्यूजन हो सकती हैं। एक हैकर सिस्टम की किसी भी कमी का फायदा उठा सकता है।

एआई इंजन और टूल्स के आने से इस 'कमियों और हैकिंग' वाले इकोसिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब तक, किसी कमी का पता लगाना एक जटिल, समय लेने वाला और मेहनत भरा काम था। केवल उच्च कोटि के विशेषज्ञ हैकर ही ऐसा कर पाते थे और उन्हें भी इसमें बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। लेकिन अब, जेनरेटिव एआई टूल्स की मदद से कमियों को आसानी से ढूंढ़ा जा सकता है, जिससे हैकिंग का काम स्वचालित हो गया है। यही कारण है कि इस महीने हमलों की बाढ़-सी आ गई है। एआई टूल्स व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर में कमियों का पता लगाने में मदद कर सकते हैं, जिनमें वे कमियां भी शामिल हैं, जो पहले किसी की नजर में नहीं आई थीं। ऐसा लगता है कि हमलों का यह मौजूदा दौर पीएचपी प्रारूप आधारित साइटों में मौजूद कमियों से जुड़ा है। पीएचपी एक ओपन-सोर्स स्क्रिप्टिंग भाषा है, जिसका इस्तेमाल डायनामिक वेबपेज बनाने के लिए किया जाता है। दुनिया भर की लाखों वेबसाइटें हमलों की चपेट में आ सकती हैं। हैकर्स महत्वपूर्ण डिजिटल साइटों में पीएचपी की कमजोरियों का पता लगाने और उन पर हमला करने के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं।

जहां एक तरफ हैकर्स 'बग' खोजने के काम को ऑटोमेट करने और नए तरह के मैलवेयर बनाने के लिए एआई इंजन और एलएलएम का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एआई कंपनियां खुद ऐसी कमजोरियों की पहचान करने के लिए टूल्स विकसित कर रही हैं, ताकि किसी हमले से पहले ही उसका तोड़ हाथ में हो। ओपन एआई और एंथ्रोपिक नामक कंपनियों ने साइबर सुरक्षा के मूल्यांकन के लिए एडवांस्ड 'जेनरेटिव एआई एजेंट' विकसित किए हैं।

हालांकि, एआई एक दोधारी तलवार है। अगर कोई एआई एजेंट किसी कमजोरी का पता लगा ले, तो वह सिस्टम को हैक करने के लिए उसका फायदा भी उठा सकता है। इन दोनों कंपनियों द्वारा विकसित किए गए प्रयोगात्मक एजेंटों ने ठीक ऐसा ही किया। उन्होंने असल दुनिया में बाहरी सिस्टमों पर हमले किए। इस साल की शुरुआत में, एंथ्रोपिक ने खुलासा किया कि उसके एक एजेंट ने संवेदनशील जानकारी और कॉर्पोरेट डेटा चुरा लिया। इतना ही नहीं, उसे यह पता होने के बावजूद कि वह किसी लैब में नहीं, बल्कि लाइव इंटरनेट पर काम कर रहा है, उसने अपना हमला जारी रखा। ओपन एआई के एक एजेंट ने तो एक जर्मन वेबसाइट को हैक करके उसे एआई एजेंटों के लिए एक निजी मैसेज बोर्ड में बदल दिया।

भारत को अपने विशाल डिजिटल तंत्र और ऑनलाइन सार्वजनिक सेवाओं को देखते हुए इन घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए और जरूरी बचाव के कदम उठाने चाहिए। साइबर सुरक्षा की निगरानी करने वाली सरकारी एजेंसी, 'इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम' (सीईआरटी-इन) ने हाल की घटनाओं, जिनमें पीएचपी की कमजोरियां भी शामिल हैं, को लेकर कई चेतावनियां जारी की हैं। इससे भी गंभीर बात यह है कि एजेंसी ने भारतीय डिजिटल संपत्तियों पर एआई एजेंटों द्वारा किए गए हमलों की पुष्टि की है। एजेंसी के अनुसार, ये एजेंट खुद अपना काम प्लान करने, कमांड देने, टूल तैनात करने और लंबे समय तक वेब पर सक्रिय रहने में सक्षम हैं। जो एआई एजेंट अभी 'रिसर्च और मूल्यांकन' के चरण में थे, वे गलती से रिलीज हो गए और अनधिकृत तरीके से भारतीय डिजिटल तंत्र तक पहुंच गए। भारतीय संगठनों की लाइव वेबसाइटों पर हुए इन हमलों के कारण उनके बिजनेस रिकॉर्ड, व्यक्तिगत डेटा और गोपनीय जानकारी लीक हो गई। सबसे चिंताजनक बात यह है कि संबंधित संगठनों को इन डेटा लीक्स का पता ही नहीं चला; यह बात तब सामने आई, जब एआई मॉडल डेवलपर्स ने खुद सीईआरटी-इन को इसकी जानकारी दी।

इसके अलावा, एजेंसी ने पाया है कि हैकर्स ने ओपन-सोर्स 'एजेंटिक टूल्स' का इस्तेमाल करके भारतीय वेबसाइटों पर 'आर्थिक लाभ के लिए' घुसपैठ की है। भारत में हाल ही में हुए हमलों से पता चलता है कि एआई टूल्स हमलों के पैमाने को पूरी तरह से बदल देंगे। अब किसी सिस्टम में घुसपैठ होने और उसके गंभीर परिणाम सामने आने के बीच का समय कुछ दिनों से घटकर केवल कुछ घंटे रह गया है। हमलावरों ने कई एआई एजेंटों का इस्तेमाल किया, जो घंटों से लेकर कई दिनों तक सक्रिय रहे। इससे पता चलता है कि एआई-आधारित हमलों में एक साथ कई एजेंटों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जिन संगठनों पर हमला हुआ, उन्होंने बचाव के जो उपाय किए, वे आधे-अधूरे थे; नतीजतन, कुछ ही दिनों के भीतर उन पर और भी ज्यादा तीव्रता से दोबारा हमला किया गया। इन सभी हमलों में एआई एजेंटों ने पुरानी या बंद हो चुकी एपीआई जैसी पारंपरिक कमजोरियों को निशाना बनाया। भारतीय डिजिटल तंत्र पर हुए ये सभी हमले काफी गंभीर लग रहे हैं, हालांकि सीईआरटी-इन ने उन संगठनों या वेबसाइटों के नाम नहीं बताए हैं, जिन पर हमला हुआ था। उन एआई कंपनियों के नाम भी उजागर नहीं किए गए हैं, जिनके एजेंट अनियंत्रित होकर भारतीय संगठनों के महत्वपूर्ण डेटा तक पहुंच गए। एजेंसी ने एआई मॉडल डेवलपर्स, रिसर्च लैब और एआई एजेंटों का मूल्यांकन करने वाली संस्थाओं के लिए कुछ सामान्य दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उनसे कहा गया है कि अगर कोई एजेंट किसी वास्तविक सिस्टम तक पहुंच जाता है, तो तुरंत प्रभावित संगठनों को सूचित करें। सरकार को जेनरेटिव एआई मॉडल विकसित करने और उनका परीक्षण करने वाली कंपनियों के लिए सुरक्षा का एक ढांचा तैयार करना चाहिए। इसी तरह का ढांचा उन संगठनों के लिए भी जरूरी है, जो अपने कामकाज में एआई एजेंटों का इस्तेमाल करते हैं, खासकर वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों के लिए।

दवा के दर्द

खाड़ी में अमेरिका-इस्त्राइल व ईरान के बीच जारी संघर्ष का प्रभाव केवल पेट्रोलियम पदार्थों पर ही नहीं, कृषि से लेकर दवा उद्योग पर भी असर दिखाने लगा है। इस संघर्ष ने अब हिमाचल और हरियाणा के दवा उद्योग को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। सर्वविदित है, ये क्षेत्र देश के दवा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर लघु एवं मध्यम उद्यमों के माध्यम से। लेकिन पश्चिमी एशिया में जारी अशांति के चलते, प्रमुख कच्चे माल की आपूर्ति में अचानक गंभीर व्यवधान पैदा हो गया है। दरअसल, इस संकट के मूल में जरूरी फार्मास्यूटिकल अवयवों यानी एपीआई, सॉल्वैंट्स और पेट्रोकेमिकल डेरिवेटिव्स की कीमतों में भारी वृद्धि होना है। दरअसल, इनमें से कई कच्चे मालों की आपूर्ति पश्चिमी एशिया से होती है या इन देशों से लगते समुद्री मार्गों से होकर भारत पहुंचती है। एक तो इस इलाके में संघर्ष के चलते शिपिंग मार्गों पर भारी दबाव पड़ा है। वहीं ऊर्जा साधनों की कीमतों में अस्थिरता के चलते, कुछ क्षेत्रों में कच्चे माल की कीमतों में तीस प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। खासकर पैकेजिंग सामग्री, जो अधिकांशतः पेट्रोलियम पदार्थों पर आधारित होती है, वह भी खासी महंगी हो गई है। जिसके चलते प्रतिस्पर्धा के कारण पहले कम लाभ के मार्जिन पर काम कर रहे दवा उद्योग पर अतिरेक दबाव पड़ गया है। लेकिन इस संकट का दूसरा पहलू यह है कि इस व्यवधान का असर उद्योग पर वित्तीय कारणों से ही नहीं है, बल्कि श्रमिकों से जुड़े कारणों से भी है। दरअसल, इस संकट के बीच प्रवासी श्रमिक भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ईंधन संकट और छोटे एलपीजी सिलेंडरों की आवश्यक आपूर्ति में बाधा का असर श्रमिकों के दैनिक जीवन और कार्य स्थिरता को लेकर पड़ना शुरू हो गया है। ऐसे में प्रवासी श्रमिकों पर अत्यधिक निर्भर फार्मा इकाइयों के लिये यह व्यवधान उत्पादकता में गतिरोध पैदा कर सकता है। वास्तव में देखा जाए तो उद्योग की मजबूती केवल आपूर्ति श्रृंखला से ही नहीं जुड़ी है बल्कि उनके श्रमिकों के हितों और उनके आत्मविश्वास से भी जुड़ी है। हिमाचल प्रदेश के बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र और हरियाणा के फार्मा क्लस्टर्स पर इसकी दोहरी मार पड़ रही है। जहां एक ओर उत्पादन लागत में भारी वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर छोटे निर्माताओं को उत्पादन में कटौती करने अथवा नुकसान उठाने के लिये मजबूर होना पड़ रहा है। दूसरी ओर बढ़ती लागत व वैश्विक परिवहन लागत में वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धा में ये उद्योग पिछड़ रहा है। बहरहाल, इस संकट ने आयातित कच्चे माल और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर भारत की निर्भरता की कमजोरी को भी उजागर कर दिया है। हालांकि, केंद्र सरकार की पहल से आयातित कच्चे सामान पर शुल्क में छूट से भले ही कुछ राहत मिली हो, लेकिन कच्चे माल के वैकल्पिक स्रोत तलाशने, घरेलू एपीआई उत्पादन क्षमता बढ़ाने और प्रवासी श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर व्यापक सुधार करने की आवश्यकता है। सही मायनों में एक दूर का युद्ध भारत की दवा आपूर्ति और उसके उत्पादकों के धैर्य की परीक्षा ले रहा है।

ऑनलाइन ट्रेडिंग में मुनाफे का लालच देकर महिला से 1.69 लाख की ठगी

भाईंदरः ऑनलाइन ट्रेडिंग में निवेश कर भारी मुनाफा कमाने का लालच देकर साइबर ठगों ने मीरा रोड की 45 वर्षीय महिला को अपना शिकार बनाया। आरोपियों ने महिला को ऑनलाइन ट्रेडिंग के जरिए अच्छा रिटर्न मिलने का भरोसा दिलाकर उससे संपर्क साधा और निवेश के नाम पर कुल 1 लाख 69 हजार 728 रुपये जमा करवा लिए। हालांकि, काफी समय बीतने के बाद भी महिला को न तो मुनाफा मिला और न ही निवेश की रकम वापस मिली। मिली जानकारी के अनुसार, भायंदर पूर्व के बविता कॉर्नर इलाके में फिटनेस स्टूडियो चलाने वाली बबीता कोर सोहल (45) से एक व्यक्ति ने संपर्क किया। उसने ऑनलाइन ट्रेडिंग में निवेश करने पर अच्छा मुनाफा मिलने का आश्वासन दिया। आरोपी के झांसे में आकर महिला ने एक वेबसाइट पर पंजीकरण कराया और बताए गए बैंक खाते में अलग-अलग किस्तों में 1 लाख 69 हजार 728 रुपये जमा कर दिए। इसके बावजूद उन्हें न तो कोई लाभ मिला और न ही मूल रकम वापस की गई। ठगी का एहसास होने पर महिला ने मीरा रोड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर मीरा रोड पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की आगे की जांच वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मेघना बराई के मार्गदर्शन में की जा रही है। पुलिस ऑनलाइन निवेश के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी से सतर्क रहने और किसी भी अनजान व्यक्ति या वेबसाइट पर भरोसा कर पैसे जमा नहीं करने की अपील कर रही है।

पुरानी उपयोगी वस्तुओं से जरूरतमंदों को मिली मदद

RRR सेंटरों का 'क्लीन दिवाली, हैप्पी दिवाली' संदेश

भाईंदर : मीरा भाईंदर स्वच्छ दिवाली और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मीरा भाईंदर मनपा ने अनूठी पहल की है. स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर में बनाए गए 10 आरआर आर (रिड्यूस, रीयूज़, रीसायकल) सेंटरों पर एकत्र की गई उपयोगी वस्तुओं को रीसायकल कर जरूरतमंद नागरिकों में वितरित किया गया. मनपा के सेवा संकल्प अभियान के तहत 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक इन केंद्रों पर नागरिकों से कपड़े, किताबें, खिलौने, जूते, बर्तन और अन्य पुनः उपयोग योग्य वस्तुएं एकत्र की गईं. इस पहल का उद्देश्य उपयोगी वस्तुओं को कचरे में जाने से रोकना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखना है. इस अवसर पर महापौर डिंपल विनोद मेहता ने नागरिकों से अपील की कि त्योहार की खुशियों के साथ शहर की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी भी निभाएं. उपयोगी वस्तुओं को फेंकने के बजाय उनका पुनः उपयोग करें, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें और गीले व सूखे कचरे को अलग-अलग जमा करें. उन्होंने लोगों से 'क्लीन दिवाली, हैप्पी दिवाली' का संकल्प अपनाकर स्वच्छता अभियान में सहयोग करने का आग्रह किया.

बच्चों व किशोरों को कृमिनाशक दवा

भाईंदर : मीरा-भाईंदर मनपा के स्वास्थ्य विभाग की ओर से राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस के तहत 27 अक्टूबर से कृमिनाशक अभियान चलाया जा रहा है. 3 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान अंतर्गत मनपा क्षेत्र के 1 से 19 वर्ष तक के पात्र बच्चों और किशोरों को एल्बेंडाजोल की गोलियां दी जाएंगी. 3 नवंबर को छूटे हुए लाभार्थियों के लिए विशेष मॉप-अप अभियान आयोजित होगा. यह अभियान सभी स्कूलों, महाविद्यालयों, मदरसों और आंगनवाड़ी केंद्रों में चलाया जाएगा. स्वास्थ्य, शिक्षा तथा महिला एवं बाल कल्याण विभाग संयुक्त रूप से इसकी जिम्मेदारी संभालेंगे. आयुक्त राधाबिनोद शर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित समन्वय समिति की बैठक में अभियान की तैयारियों, दवाओं की उपलब्धता, जन जागरूकता और विभागों के बीच समन्वय की समीक्षा की गई.

कृमि संक्रमण से बच्चों के विकास पर असर

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, भारत में 1 से 19 वर्ष की आयु के लगभग 24.1 करोड़ बच्चे (68 प्रतिशत) मिट्टी से फैलने वाले आंतों के कृमियों से प्रभावित हैं. दुनियाभर में भी करीब 28 प्रतिशत बच्चे इस संक्रमण के खतरे में हैं. व्यक्तिगत और पर्यावरणीय स्वच्छता की कमी इसका प्रमुख कारण है. कृमि संक्रमण से बच्चों में खून की कमी, कुपोषण, शारीरिक विकास में बाधा और सीखने की क्षमता पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है. ऐसे में बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास को बेहतर बनाने के लिए नियमित कृमिनाशक दवा देना महत्वपूर्ण है.

देहव्यापार रैकेट का पर्दाफाश, महिला एजेंट गिरफ्तार, दूसरी फरार

भायंदर। मीरा-भायंदर, वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत नवघर पुलिस ने भायंदर पूर्व में चल रहे कथित देहव्यापार रैकेट का पर्दाफाश कर एक महिला एजेंट को गिरफ्तार किया है, जबकि उसकी दूसरी साथी फरार है। पुलिस ने मौके से दो युवतियों को सुरक्षित मुक्त कराया है। पुलिस के अनुसार, गुप्त सूचना मिली थी कि धर्म कांटा-फाटक रोड स्थित एक होटल की पहली मंजिल पर युवतियों को ग्राहकों तक पहुंचाया जा रहा है। इसके बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों एवं पुलिस उपायुक्त राहुल चव्हाण, सहायक पुलिस आयुक्त सोहेल शेख के मार्गदर्शन में नवघर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मुकुंद यादव एवं उनकी टीम ने नकली ग्राहक के जरिए जाल बिछाकर छापेमारी की और एक महिला एजेंट को गिरफ्तार कर लिया। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि युवतियों को फोटोशूट, मॉडलिंग और बंगाली टीवी धारावाहिकों में काम दिलाने का झांसा देकर ग्राहकों के सामने पेश किया जाता था। पुलिस को इस नेटवर्क के मुंबई, ठाणे, मीरा-भायंदर, लोनावाला और गोवा तक फैले होने का संदेह है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और आपत्तिजनक सामग्री जब्त कि हैं। फरार महिला एजेंट की तलाश जारी है। पुलिस ने पीटा एक्ट सहित संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुक्त कराई गई दोनों युवतियों को सुरक्षित महिला सुधारगृह भेजा गया है।

महाराष्ट्र में Ola, Uber और Rapido पर सख्ती की तैयारी, चालकों के दस्तावेज और बैकग्राउंड की होगी जांच

मुंबई में रैपिडो, ओला और उबर जैसी ऐप आधारित कैब और बाइक टैक्सी सेवाओं के चालकों के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं।

माहिम में एक रैपिडो चालक पर हुई एटीएस की कार्रवाई के बाद महाराष्ट्र सरकार ने ओला, उबर और रैपिडो जैसी ऐप आधारित कैब और बाइक टैक्सी सेवाओं के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया है।

अधिकारियों के साथ बैठक

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने मोटर परिवहन विभाग के अधिकारियों को चालकों के दस्तावेजों और पृष्ठभूमि की सघन जांच करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। यात्रियों की सुरक्षा को पुख्ता और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार एक नए कानून का मसौदा भी तैयार कर चुकी है, जिससे मनमानी करनेवाली इन कंपनियों पर कानूनी शिकंजा कसना तय माना जा रहा है।

कैब चालकों के सत्यापन में ढिलाई बर्दाश्त नहीं

माहिम में रैपिडो बाइक-टैक्सी चलाने वाले एक युवक के खिलाफ आतंकवाद निरोधक दस्ते द्वारा की गई कार्रवाई के बाद मंगलवार को यह अहम बैठक आयोजित की गई। संबंधित चालक पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने का आरोप लगा है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है।

हालांकि, प्राथमिक जांच में उसका पाकिस्तान के किसी व्यक्ति या संगठन से सीधे संबंध का कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए परिवहन मंत्री सरनाईक ने साफ किया कि यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर ऐप आधारित सेवा प्रदाताओं से जुड़े चालकों के सत्यापन और नियमों के पालन में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ऐप आधारित सेवाओं का दायरा जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसी अनुपात में कड़े नियमों का क्रियान्वयन भी अनिवार्य है। इस बीच सरनाईक ने स्पष्ट किया कि यात्रियों की सुरक्षा, मुंबई शहर में यातायात व्यवस्था में अनुशासन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के मामले में कोई समझौता नहीं होगा।

> अगर मौजूदा कानूनी प्रावधान इन चालकों को पूरी तरह नियमबद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, तो सरकार एक नया और संशोधित कानून लाने के विकल्प पर भी गंभीरता से काम करेगी।
>
> प्रताप सरनाईक, परिवहन मंत्री

परिवहन विभाग और पुलिस बल आपसी तालमेल से काम करते हुए सभी शिकायतों का त्वरित समाधान करेंगे।

उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

परिवहन मंत्री सरनाईक ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन कंपनियों के साथ काम करने वाले चालकों की पृष्ठभूमि, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन संबंधी वैध कागजात और तय शर्तों की बारीकी से जांच हो। जांच के दौरान यदि कोई भी नियम उल्लंघन, धोखाधड़ी या गैरकानूनी गतिविधि पाई जाती है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ कोई अप्रिय घटना घटने के बाद ही कार्रवाई करने के बजाय एक स्थायी निगरानी तंत्र विकसित होना चाहिए। इसके तहत इन सेवाओं को राज्य परिवहन प्राधिकरण के दायरे में प्रभावी रूप से लाने की जरूरत है।

कुछ घंटों के लिए किराए पर देने का दावा ! शिवसेना की कंटेनर शाखा पर आरोप

भाईंदर : भाईंदर पूर्व के सोनल पार्क इलाके में शिवसेना (शिंदे) की कंटेनर शाखा विवादों में घिर गई है. भाजपा नगरसेवक तरुण शर्मा ने आरोप लगाया है कि पार्टी की इस शाखा को कुछ घंटों के लिए एक युवा जोड़े को किराए पर दिया गया था. इसी कंटेनर में युवा जोड़े की कथित अश्लील हरकतों का वीडियो भी सामने आया है. मामले में शर्मा ने नवघर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराकर जांच और कार्रवाई की मांग की है. बता दें कि करीब एक वर्ष पहले शिवसेना (शिंदे) ने मीरा भाईंदर में कई स्थानों पर सड़कों के किनारे और फुटपाथ पर कंटेनर शाखाएं स्थापित की थीं. कई शिकायतें मिलने पर मनपा की कार्रवाई के बाद इन्हें हटाकर अन्य स्थानों पर लगाया गया था. भाईंदर पूर्व के आरएनपी पार्क स्थित प्रभाग 3 के सोनल पार्क में भी दो कंटेनर अगल-बगल रखे गए हैं.

एक कंटेनर की जगह पवेलियन डेकोरेशन का व्यवसाय करने वाले व्यक्ति को किराए पर दिए जाने की शिकायत की गई है. दूसरे कंटेनर में युवा जोड़े की कथित आपत्तिजनक गतिविधियों का वीडियो सामने आने के बाद विवाद बढ़ गया. स्थानीय नगरसेवक तरुण शर्मा ने सवाल उठाया है कि राजनीतिक पार्टी की शाखा का इस्तेमाल इस तरह कैसे किया जा सकता है और उसे निजी उपयोग के लिए किराए पर देने का अधिकार किसने दिया ? कंटेनर शाखा के पास हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे की तस्वीर जली हुई मिलने का भी दावा किया गया है. शर्मा ने तस्वीर जलाने वाले व्यक्ति की पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

सूर्या जलापूर्ति योजना की राह हुई आसान, बिजली टावरों का निर्माण शुरू; नागरिकों में संशय बरकरार

मीरा-भायंदर। शहर की लंबे समय से चली आ रही पानी की समस्या को दूर करने वाली सूर्या प्रादेशिक जलापूर्ति योजना ने अब रफ्तार पकड़ ली है। इस योजना के तहत बिजली टावरों के निर्माण में आ रही बाधा आखिरकार दूर हो गई है और रुका हुआ काम दोबारा शुरू कर दिया गया है। पालघर जिला प्रशासन की पहल और स्थानीय लोगों के साथ हुई बातचीत के बाद निर्माण कार्य का रास्ता साफ हुआ है। वर्तमान में मीरा-भायंदर शहर को स्टेम और एमआईडीसी के माध्यम से प्रतिदिन करीब 211 मिलियन लीटर पानी की आपूर्ति हो रही है। बढ़ती आबादी के कारण यह पानी शहर की जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं है। सूर्या जलापूर्ति योजना के माध्यम से शहर को अतिरिक्त 218 मिलियन लीटर प्रतिदिन पानी मिलने वाला है। योजना के अधिकांश काम पूरे हो चुके हैं, लेकिन पालघर स्थित पंपिंग स्टेशन तक बिजली आपूर्ति की व्यवस्था नहीं होने से परियोजना शुरू नहीं हो पा रही थी। इसके लिए महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी को कुल 166 बिजली टावरों का निर्माण करना है। इनमें से सात टावर मैंग्रोव और तटीय विनियमन क्षेत्र में आने के कारण न्यायालय की अनुमति लेनी पड़ी थी।

भायंदर में अवैध पानी माफियाओं पर होगी कार्रवाई

भायंदर। मीरा-भायंदर शहर के लंबित विकास कार्यों को गति देने के लिए महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने शुक्रवार को महानगरपालिका में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में महानगरपालिका आयुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस उपायुक्त सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में चेना रिवर वॉटरफ्रंट और शिवसृष्टि तक जाने वाली 18 मीटर सड़क, खाड़ी किनारे का विकास, महानगरपालिका मुख्यालय, श्मशानभूमि, छत्रपति संभाजी महाराज उद्यान, ठोस कचरा प्रबंधन, समाज भवन, साइकिलिंग एवं जॉगिंग ट्रैक, क्लस्टर योजना, नालों का निर्माण, पांडुरंगवाड़ी सिग्नल और बायपास सहित कुल 19 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।

मीरा भायंदर मनपा में महिला सुरक्षा कानून सिर्फ कागजों पर?

आंतरिक शिकायत समिति के बोर्ड नदारद, महिला आयोग के पास पहुंची शिकायत

भायंदर : मीरा-भायंदर महानगरपालिका में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े पोश ऐक्ट, 2013 के प्रावधानों के कथित उल्लंघन का मामला सामने आया है। मनपा मुख्यालय से लेकर प्रभाग कार्यालयों, स्कूलों, अस्पतालों और पुस्तकालयों तक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की जानकारी वाले सूचना बोर्ड नहीं लगाए जाने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में एड. प्रवीण परमार ने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, महिला एवं बाल विकास विभाग और कोंकण संभाग के विभागीय आयुक्त सहित संबंधित सरकारी विभागों को ईमेल के जरिए शिकायत भेजी है। शिकायतकर्ता के अनुसार, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम के तहत शिकायत निवारण व्यवस्था की जानकारी कर्मचारियों तक पहुंचाना जरूरी है। सूचना बोर्ड पर समिति के गठन, सदस्यों के नाम, संपर्क विवरण और यौन उत्पीड़न के मामलों में लागू दंडात्मक प्रावधानों की जानकारी होनी चाहिए।

परमार ने कहा कि मनपा में बड़ी संख्या में महिला अधिकारी, शिक्षिकाएं, डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके अलावा रोजाना बड़ी संख्या में महिलाएं विभिन्न कामों से मनपा कार्यालयों में आती हैं। ऐसे में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध नहीं होना महिलाओं के अधिकारों पर असर डाल सकता है। शिकायत में महिला आयोग से ठाणे जिलाधिकारी के माध्यम से मनपा मुख्यालय का औचक निरीक्षण कराने की मांग की गई है। साथ ही सभी कार्यालयों, स्कूलों और अस्पतालों में आईसीसी, जिला स्थानीय समिति तथा केंद्र सरकार के 'शी-बॉक्स' पोर्टल की जानकारी वाले बोर्ड लगाने और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की गई है। हालांकि, इन आरोपों पर मनपा प्रशासन का पक्ष सामने आना बाकी है।

स्वच्छता सर्वे की सजावट पर पानी !

स्काईवॉक के पौधे सूखे, लाखों रुपये बर्बाद

भाईंदर : स्वच्छता सर्वेक्षण में देश में प्रथम स्थान हासिल करने के लिए मीरा भाईंदर मनपा ने भाईंदर पश्चिम रेलवे स्टेशन के स्काईवॉक के खंभों पर सजावटी पौधे लगाने और उनकी सिंचाई व्यवस्था पर लाखों रुपये खर्च किए. लेकिन उचित देखभाल के अभाव में पौधे सूख गए, गमले टूट गए और सिंचाई की पाइपें भी क्षतिग्रस्त हो गईं. इससे सौंदर्याकरण पर हुए खर्च और ठेकेदार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं.

प्रथम स्थान के लिए किए थे कई उपाय पिछले वर्ष 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देश में प्रथम स्थान पाने के लिए मनपा ने सफाई, वृक्षारोपण, दीवारों की रंगाई और फ्लाईओवरों के सौंदर्याकरण सहित कई उपाय किए थे. इसी क्रम में भाईंदर पश्चिम और मीरा रोड पूर्व के स्काईवॉक के खंभों पर सजावटी पौधे लगाए गए. इस काम के लिए राज्य सरकार से मिली निधि से लाखों रुपये का ठेका दिया गया था.

सिंचाई व्यवस्था भी हुई खराब

पौधों को हरा-भरा रखने के लिए खंभों पर पानी की पाइपें बिछाकर पानी की बूंदे निरंतर टपकने जैसे सिंचाई की व्यवस्था की गई थी.

पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी ठेकेदार को सौंपी गई थी. हालांकि, पिछले कुछ महीनों से रखरखाव में कथित लापरवाही के कारण पौधे सूख गए. कई गमले टूट गए या गायब हो गए, जबकि सिंचाई की पाइपें भी क्षतिग्रस्त हो गईं.

सौंदर्गीकरण पर खर्च बेकार

स्काईवॉक के खंभों को आकर्षक बनाने के उद्देश्य से किया गया यह काम अब बदहाल नजर आ रहा है. पौधों और सिंचाई व्यवस्था की दुर्दशा से मनपा के रखरखाव पर सवाल खड़े हो रहे हैं. लाखों रुपये खर्च करने के बावजूद सजावट उजड़ने से सरकारी धन के उपयोग पर भी सवाल उठ रहे हैं.

सोना कारोबारी से 12.15 लाख की ठगी, क्रिप्टो में लगाया पैसा!

काशीमीरा क्राइम ब्रांच ने वाराणसी से मुंबई आए दोनों आरोपियों को पवई से दबोचा

भायंदर : मीरा-भायंदर में सोना कारोबारी को चूना लगाकर फरार हुए दो आरोपियों को काशीमीरा क्राइम डिटेक्शन सेल-१ ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने कथित तौर पर १२.१५ लाख रुपये की नकदी हड़पने के बाद ठगी की रकम से महंगे गैजेट, सोने की चेन और क्रिप्टोकरेंसी खरीदी थी। पुलिस ने दोनों को मुंबई के पवई से गिरफ्तार कर उनके पास से करीब ८.०९ लाख रुपये की संपत्ति जब्त की है।

पुलिस के अनुसार, मीरा रोड पूर्व के रामदेव पार्क स्थित भवानी गोल्ड के मालिक महेंद्र सिंह ने ६ अक्टूबर को अपने कर्मचारी रमाकांत जयप्रकाश शुक्ला को व्यापारिक काम से मालाड से १२.१५ लाख रुपये लाने भेजा था। रमाकांत अपने दोस्तों रितेश जयप्रकाश मिश्रा और नीरज मनीषचंद्र झा के साथ बाइक से लौट रहा था। पांडुरंगवाड़ी स्थित सम्राट होटल के पास दोनों आरोपियों ने आगे ट्रैफिक पुलिस होने का बहाना बनाकर रमाकांत को आगे भेज दिया और बाइक की डिक्की में रखी नकदी लेकर फरार हो गए।

मीरा रोड स्टेशन पर एफओबी की सीढ़ी हटेगी स्टेशन सुधार संबंधी कार्य हुए शुरू

मुंबई. पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक ने बताया कि मुंबई रेल विकास निगम द्वारा मीरा रोड स्टेशन पर स्टेशन सुधार संबंधी कार्य किया जा रहा है. इसी क्रम में मुंबई रेल विकास निगम द्वारा प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 व 3 पर स्थित दूसरे उत्तरी फुट ओवर ब्रिज की दक्षिणी सीढ़ी को हटाया जाएगा. इस कारण यह सीढ़ी तत्काल प्रभाव से यात्रियों के आवागमन के लिए बंद कर दी गई है. यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए पश्चिम रेलवे द्वारा खेद व्यक्त की गई है.

पांच महीने बीते; मनपा के बच्चों को अब तक पानी की बोतल नहीं!

मनपा के शिक्षा विभाग की सुस्त कार्यप्रणाली का खामियाजा भुगत रहे ९ हजार विद्यार्थी टेंडर मंजूर, फिर भी ३५ स्कूलों के बच्चों तक नहीं पहुंची स्टील की बोतलें

मुंबई : भाजपा शासित मीरा-भायंदर मनपा के शिक्षा विभाग में प्रशासनिक लापरवाही और सुस्त कार्यप्रणाली का खामियाजा एक बार फिर मासूम स्कूली बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। चालू शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में जहां मनपा स्कूलों के छात्रों को बिना यूनिफॉर्म, जूते और अन्य जरूरी सामग्री के स्कूल जाना पड़ा था, वहीं लंबी जद्दोजहद के बाद उन्हें कपड़े और जूते तो नसीब हो गए, लेकिन अब नया सत्र शुरू हुए करीब ५ महीने का समय बीत जाने के बाद भी छात्र वॉटर बोतल (पानी की बोतल) का इंतजार कर रहे हैं।

एक तरफ जहां जून महीने में मनपा प्रशासन की लापरवाही के कारण बच्चों को पुरानी ड्रेस पहनकर स्कूल जाना पड़ा था, वहीं दूसरी तरफ वॉटर बोतल की खरीद को लेकर कागजी प्रक्रिया महीनों से रेंग रही है। प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, प्रशासन द्वारा मनपा स्कूलों के विद्यार्थियों को स्टेनलेस स्टील की वॉटर बोतल सप्लाई करने के लिए ई-टेंडरिंग माध्यम से निविदाएं आमंत्रित की गई थी। इसमें 'नवकार यूनिफॉर्म' नामक संस्था की २०५ रुपए प्रति नग की सबसे कम दर को टेंडर समिति और मनपा आयुक्त द्वारा मंजूरी भी दे दी गई थी। इसके बावजूद, शैक्षणिक सत्र आधा बीत जाने पर भी बच्चों के हाथों तक ये बोतलें नहीं पहुंच सकी हैं। स्कूल की शुरुआत में शिक्षा अधिकारियों ने टेंडर प्रक्रिया में देरी के पीछे विधान परिषद चुनावों की आचार संहिता का बहाना बनाया था, लेकिन अब चुनाव बीते और नया सत्र शुरू हुए ५ महीने हो चुके हैं, फिर भी वॉटर बोतल की सप्लाई न होना अधिकारियों की नीयत पर सवाल खड़े करता है।

विपक्ष और अभिभावकों का कहना है कि प्रशासन केवल बड़े-बड़े दावों और फोटो सेशन में व्यस्त रहता है, जबकि जमीनी स्तर पर बच्चों को स्वच्छ पानी पीने के लिए घर से पुरानी बोतलें लानी पड़ रही हैं। ज्ञात हो कि मनपा के तहत चलने वाले ३५ स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने वाले लगभग ९,००० छात्र आज भी प्रशासन की इस कछुआ चाल के कारण अपने हक की वॉटर बोतल मिलने की राह देख रहे हैं। अब देखना यह होगा कि मनपा प्रशासन इस गहरी नींद से कब जागता है और ठेकेदार को काम पूरा करने का अंतिम आदेश कब जारी होता है।

लता मंगेशकर संगीत विद्यालय रद्द कर महापौर निवास बनाने के भाजपा के फैसले पर विवाद

भाईंदर : मीरा-भायंदर में शिंदे गुट और भाजपा के बीच एक और बड़ा सियासी संग्राम छिड़ गया है। लता मंगेशकर संगीत विद्यालय को रद्द कर वहां महापौर निवास बनाने के भाजपा के कथित फैसले ने शिंदे गुट और भाजपा को आमने-सामने खड़ा कर दिया है।

मीरा रोड स्थित सेवन इलेवन स्कूल के पास मनपा के मैदान की १५ प्रतिशत जगह पर इस गुरुकुल-शैली के संगीत विद्यालय का निर्माण किया जा रहा था। लगभग तीन साल पहले, २७ सितंबर २०२* को उषा मंगेशकर सहित मंगेशकर परिवार के अन्य सदस्यों की मौजूदगी में इसका भूमिपूजन किया गया था। इस परियोजना के लिए करीब २५ करोड़ रुपये का फंड भी मंजूर किया गया था। हैरानी की बात यह है कि इस संगीत विद्यालय का लगभग ७० प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। सूत्रों के अनुसार, इसके बावजूद, सत्ताधारी भाजपा ने अब अपने बहुमतके दम पर इसे बदलकर महापौर निवास बनाने का प्रस्ताव पारित करने का दावा किया है। शिंदे गुट के मंत्री प्रताप सरनाईक ने इस फैसले का विरोध करते हुए सवाल उठाया कि जब शहर में पहले से ही एक महापौर निवास मौजूद है, तो दूसरे की क्या जरूरत है? हैरानी की बात यह है कि इस संगीत विद्यालय का लगभग ७० प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। इसके बावजूद, सत्ताधारी दल ने अब इसे बदलकर महापौर निवास बनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया।

अपना वर्चस्व साबित करने की लड़ाई

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यह विवाद मीरा-भायंदर में अपना वर्चस्व साबित करने के लिए भाजपा और शिंदे गुट के बीच चल रही राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा है। अब देखना यह होगा कि शिंदे गुट के इस आक्रामक रुख के बाद क्या भाजपा अपने कदम पीछे खींचती है, या फिर राज्य की महायुति सरकार में शामिल इन दो घटकों के बीच की यह दरार और गहरी होती है।

बढ़ती लागत से संकट में मछली निर्यात उद्योग; मछुआरों को सस्ता डीजल

भाईंदर. महाराष्ट्र के मछुआरों और मछली निर्यात उद्योग को राहत देने के लिए मछुआरा सहकारी संस्थाओं को खुदरा दर पर डीजल, बर्फ फैक्ट्रियों को बिजली बिल में छूट और निर्यातकों को विशेष प्रोत्साहन देने की मांग की गई है. पूर्व नगरसेवक बर्नार्ड डिमेलो ने उद्योग मंत्री उदय सामंत को पत्र लिखकर इस संबंध में तत्काल निर्णय लेने की अपील की है. डिमेलो के अनुसार, थोक उपभोक्ता श्रेणी में डीजल मिलने से मछुआरा सहकारी संस्थाओं को कई जगह खुदरा दर से 35 से 40 रुपए प्रति लीटर अधिक चुकाने पड़ रहे हैं. वहीं, अधिक बिजली दरों से बर्फ फैक्ट्रियों की लागत बढ़ रही है. उन्होंने बर्फ फैक्ट्रियों को बिजली में रियायत या सब्सिडी देने की मांग की है. उन्होंने महाराष्ट्र के मछली निर्यातकों के लिए प्रसंस्करण और कोल्ड स्टोरेज पर सब्सिडी, आधुनिक तकनीक के लिए आर्थिक सहायता तथा निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं लागू करने का सुझाव भी दिया. इसके लिए गुजरात, गोवा, कर्नाटक और तमिलनाडु की योजनाओं का अध्ययन करने की अपील की गई है. डिमेलो ने उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में मत्स्य पालन एवं उद्योग विभाग, बिजली वितरण कंपनी, एमपीईडीए, मछुआरा सहकारी संस्थाओं और निर्यातकों की संयुक्त बैठक बुलाकर ठोस नीतिगत निर्णय लेने की मांग की है.

यह हिंदी पाक्षिक मालक, मुद्रक, प्रकाशक संजय डी. राय द्वारा ओम साई प्रिंटर्स, न्यू जय अम्बे एस्टेट, यूनिट नं. 7, ओल्ड सिंडिकेट बैंक के सामने, एचपी गैस गोडाऊन के पीछे, गोडदेव फाटक रोड, भाईदर (पूर्व) - 401 105 से मुद्रित कर 116 डी विंग, तुलसी छाया बिल्डिंग, नवघर क्रॉस तलाव रोड, भाईदर (पूर्व), जिला ठाणे 401 105 (महाराष्ट्र) यहां से प्रकाशित किया। इस समाचार पत्र में प्रकाशित सभी समाचारों से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। किसी भी विवाद का निपटारा मा. ठाणे न्यायालय के अधिन होगा। संपादक : संजय डी. राय, मोबाइल- 9967935711 / email: bhayandersun@gmail.com